61

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3083—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 30—08—2014 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 662/अपील/2012—13.

.....

1—रूद्र प्रसाद मिश्रा पिता ददन प्रसाद मिश्र
निवासी सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा
म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—रामकृष्ण मिश्रा पिता स्व0 शिवरतनराम मिश्रा
2—सत्यनारायण भुजवों पिता स्व0 श्री रामस्वरूप गुप्ता भुजवों दोनों निवासीगण ग्राम सगरा तहसील हुजूर जिला रीवा म0 प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री के0 के0. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 11.01.2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—08—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता

1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 15ए/12 में माननीय न्यायालय में चल रहे अपील प्रकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे स्थगित करने से इंकार करते हुये आवेदन निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त के अंतिरिम आदेश दिनांक 30.8.14 से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि अपीलीय प्रकरण में विचाराधीन आराजी खसर कमांक 1505/2 के स्वत्व घोषणा हेतु उत्तरवादी द्वारा व्यवहारवाद प्रस्तुत किया हे जिसका प्रकरण कमांक 166ए/11 है जो जिला न्यायालय रीवा के समक्ष विचाराधीन है एवं इसी भूमि के संबंध में निष्पादित विकय पत्र को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कराने के लिये व्यवहारवाद रूद्र प्रसाद मिश्रा ने भी प्रस्तुत किया है जो जिला न्यायालय रीवा के समक्ष विचाराधीन हैं जिसमें तारीख नियत थी। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि आराजी खसरा कमांक 1505/2 पूर्व में रूद्र प्रसाद के नाना की भूमि थी जिसे आवेदक ने जरिये पंजीकृत वसीयत से प्राप्त किया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क में कहा गया है कि अपर आयुक्त रीवा के समक्ष इसी आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि नामांतरण कार्यवाही से किसी प्रकार का स्वत्व अर्जित नहीं होता स्वत्व की जांच जिला न्यायाधीश द्वारा की जा रही है। जिला न्यायाधीश के समक्ष व्यवहारवाद के निराकरण तक अपीलीय प्रकरण की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय, जिसके पक्ष में व्यवाहर न्यायालय द्वारा डिक्री होगी नामांतरण उसी के पक्ष में होगा जिसे अपर

आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है, कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 30.8.14 निरस्त करने का अनुरोध किया है एवं अपर आयुक्त के प्रकरण में कार्यवाही स्थिगित करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा सूची दस्तावेज प्रस्तुत किये गये एवं उसमें जिला न्यायाधीश रीवा व्यवाहर वाद कमांक 38ए/13 के आदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह कहा गया है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 30.8.14 उचित है। आवेदक प्रकरण को लंबित रखने के उददेश्य से प्रकरण में आवेदन प्रस्तुत कर पेशियां बढ़वाते रहते है। जबकि सिविल न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में अभी को निराकरण नहीं किया गया है जिससे अपर आयुक्त आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः आवेदक की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 15ए/12 में माननीय न्यायालय में चल रहे अपील प्रकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे स्थगित करने से इंकार करते हुये आवेदन निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त के अंतिरिम आदेश दिनांक 30.8.14 द्वारा आवेदन निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। न्यायालय की कार्यवाही स्थगित रखे जाने का आवेदन औचित्यहीन था। राजस्व न्यायालय की कार्यवाही स्वतंत्र प्रकार की है, जिसे सिगित किया जाना न्यायोचित नहीं था। आवेदक प्रकरण को लंबित रखने के उददेश्य से बार–बार आवेदन प्रस्तुत कर रहा था । आवेदन

पत्र सद्भाविक न होने के कारण निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त रीवा का अंतिरिम आदेश दिनांक 30.8.14 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 662/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30.08.2014 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर